न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
93/प्रा0पत्र/2018	28.06.2018	20.07.2018

श्रीमती रूपांजली पत्नी बिशन दास जाति सिन्धी निवासी बालचंद पाड़ा, बून्दी। – प्रार्थी

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से – श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646–649/रीडर/2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्रीमती रूपांजली पत्नी बिशन दास जाति सिन्धी निवासी बालचंद पाड़ा, बून्दी ने जर्ये अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता के द्वारा दिनांक 18.06.2018 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी के न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 18/2018 उनवान रूपांजली बनाम बाबू भाई वगै0, के वाद का लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 84750/– रूपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस भुगतान हेतु पत्र सं. दीवानी/2018/1149 दिनांक 17.05.2018 जारी किया गया है। अतः प्रार्थी को कोर्ट फीस राशि 84750/– रूपये का भुगतान किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय जिला एवं सेशन

न्यायाधीश, बून्दी के पत्र सं. दीवानी/2018/1149 दिनांक 17.05.2018 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 84750/– रूपये (अक्षरे–चौरासी हजार सात सौ पचास रूपये) लौटाने के आदेश दिये गये है। न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 25000/– रूपये के 03 नग, स्टाम्प नम्बर 040368 से 040370, 5000/– रूपये का 01 नग, स्टाम्प नम्बर 085650, 3000/– रूपये का एक नग, 1000/– का एक नग स्टाम्प नम्बर 085202, 500/– का एक नग स्टाम्प नम्बर 064794, 200/– रूपये का एक नग स्टाम्प नम्बर 035651, 30 रूपये का एक नग कुल नग 09, कुल स्टाम्प राशि 84750/–रू0 राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूऐशन रूल्स् 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 84750/– रूपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 5297/– रू0 की कटौती करते हुये शेष राशि 79453/–रूपये (अक्षरे–उनयासी हजार चार सौ तिरेपन रूपये) का भुगतान प्रार्थी श्रीमती रूपांजली पत्नी बिशन दास जाति सिन्धी निवासी बालचंद पाड़ा, बून्दी को करने की स्वीकृति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/7/18

(नरेश कुमार मालव, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)